फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

देवीलाल बनाम श्रवणराम व अन्य

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या :– 117/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के दादा व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता व अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के दादा रामचन्द्र पुत्र मिश्री जाति ओड के नाम से चक 9 एफडीएम के प0नं0 115/348 के कि0नं0 1 ता 25 में 5.945 है0 क0/अ0क0 व प0नं0 115/349 के कि0नं0 1 ता 25 में 6.070 है0 कमाण्ड मय खाला कुल 12.015 है0 क0/अ0क0 मय खाला भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उक्त रकबा प्रार्थी के दादा व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता रामचन्द्र के फौत हो जाने के उपरान्त विरास्तन में अप्रार्थी संख्या 1 को कुल 12.015 है0 क0/अ0क0 मय खाला भूमि में से 2.105 है0 रकबा विरास्तन प्राप्त हुई। प्रार्थीगण के दादा ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 1 जो परिवार का मुखिया था, मुखिया होने से पैतृक सम्पति की आय से वाके चक 8 एफडीएम के प0नं0 110/348 के किला संख्या 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 3.035 है0 क0/अ0क0 मय खाला आवंटन करवाकर दी थी जो पैतृक सम्पति की आय से अर्जित है। अप्रार्थी संख्या 1 नशे के आदि है तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपने उक्त पैतृक सम्पति को रहन बेचान करने पर उतारू है अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जैरप्रकरण रकबा में अप्रार्थी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 का विवाह सहमति से कर दिया है जो अपने प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर त्याग कर दिया है। प्रार्थी विरास्तन प्राप्त सम्पति व पैतृक सम्पति की आय सम्पति में प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में 1/3 हिस्सा कानूनी बनता है। प्रार्थी का अपने दादा के जीवनकाल से ही दोनों चको की भूमि में 1/4 हिस्सा पर कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐलानिया तौर पर कहा है कि जैर प्रकरण रकबा मेरे नाम से खातेदार दर्ज है वह किसी अन्य को बेचना कर दूंगा, अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः अप्रार्थीगण को दावा के निर्णय तक पाबंद किया जावे कि वाके चक 9 एफडीएम के प0नं0 115/348 के कि0नं0 1 ता 25 में 5.945 है0 क0/अ0क0 व प0नं0 115/349 के कि0नं0 1 ता 25 में 6.070 है0 कमाण्ड मय खाला कुल 12.015 है0 क0/अ0क0 मय खाला भूमि में से 1/3 हिस्सा व पैतृक आय से अर्जित सम्पति वाके चक 8 एफडीएम के प0नं0 110/348 के कि0नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 3.035 है0 क0/अ0क0 मय खाला भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 ना तो रहन, बेचान करें तथा अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरण न करें तथा मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबन्दी अनुसार जैरवाद रकबा संयुक्त खाता में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विशिष्ट किलाजात दर्शाते हुए स्थगन चाहा गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ	

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena

Date: 2020.08.18 16:32:50 IST

Reason: SelfAttested